जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2025/26 दिनांक : 06-03-2025

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय,
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

विषयः– **सत्र 2025–2026 के लिये सामान्य, मैनेजमेंट एवं शिक्षा महाविद्यालयों की सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता/निरंतरता शुल्क 50 प्रतिशत जमा करने बाबत्।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत सत्र 2025–2026 की सम्बद्धता हेतु सामान्य, मैनेजमेंट एवं शिक्षा महाविद्यालयों की सम्बद्धता/निरंतरता शुल्क जमा कराई जाना है। इस संबंध में अशासकीय महाविद्यालयीन संघ, ग्वालियर से प्राप्त पत्र क्रमांक AMS/Admn/502/2025 date 05-02-2025 द्वारा उल्लेखित अनुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर की याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 3694/2025 दिनांक 04.02.2025 के निर्णय के परिपालन में सामान्य, मैनेजमेंट एवं शिक्षा महाविद्यालयों की 50 प्रतिशत शुल्क सत्र 2024–25 की भाँति जमा कराई जाना है।

अतः उक्त संबंध में समस्त सामान्य, प्रबंध एवं शिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित किया जाता है कि, वे सत्र 2025–2026 की अस्थायी सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता शुल्क की 50 प्रतिशत निर्धारित तिथि 20.03.2025 तक अनिवार्य रूप से एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा करें। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न किये जाने की स्थिति में महाविद्यालय की सत्र 2025–2026 की सम्बद्धता सम्बन्धी आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा। जिसकी समस्त जबाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की स्वयं की होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि –

1. कुलगुरू के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. प्रभारी, आई.टी. सैल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा इसे विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर प्रदर्शित किया जावे।

निदेशक
महाविद्यालयीन विकास परिषद्